न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलाश श्री सुनील कुमार झिगोनिया आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 36/2023

1–तेजसिंह पुत्र माधोसिंह जाति ठाकुर निवासी दांदेडा तहसील कामां, (डीग)

प्रार्थी

बनाम

1–मनोहर सिह पुत्र हुकमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम दादेडा तहसील कामां

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, कामां (डीग) राजस्थान

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

1– श्री बृजलाल शर्मा प्रार्थी अधिवक्ता

2– पैरोकार सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 18.03.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया कि आराजी नम्बर 297 रकवा 0.46 वाके ग्राम दांदेडा तहसील कामां का 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी नं0 1 की सम्मिलित कब्जे काश्त व खातेदारी का रकवा था जिसका प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 ने मुताबिक कानून व नियम विभाजन कर लिया जिसमें खसरा नम्बर 447/297/0.23 हैक्टर वाहिस्सा बराबर वाहिद रूप से प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे व खातेदार में आया एवं 448/297/0.23 हैक्टर वाहिद रूप से अप्रार्थी नं0 1 के हिस्से कब्जे व खातेदारी में आया । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी के पूर्व साविक खसरा नम्बर 447/297/0.23, हैक्टर का नया नम्बर 330/0.23 हैक्टर अप्रार्थी नं0 1 की कब्जे काश्त व खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 448/297/0.23 हैक्टर का नया नम्बर 331/0.23 हैक्टर बनाया गया है । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व साविक खसरा नम्बर 297/0.46 हैक्टर के पूर्व नजरी नक्शा के टुकडे करके नया वह नक्शा प्रार्थीगण अप्रार्थी नं0 1 के पूर्व में चल रहे आ रहे मौका व कब्जा के विपरीत बनाया गया है । जिसकी जानकारी दिनांक 10.8.2023 पटवारी हल्का से खसरा नम्बर 330 331 के नकल प्राप्त करने से हुई । विधि वजह प्रार्थीगण जरिये अदालत भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 330 331 को जो नक्शा बनाया है उस नक्शा को निरस्त कराकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 के पूर्व से चले आ रहे हैं । कब्जा एवं हाल मौका व कब्जानुसार नक्शा दुरूस्त कराकर नक्शा में खसरा नम्बर 330 व 331 अंकन करा पाने के अधिकारी है ।

अतःप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 330 व 331 को जो नक्शा बनाया गया है उसे प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 के मौका व कब्जानुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी नं0 1 व 2 को जरिये नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी नं0 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । अनुपस्थित किया जाता है । अप्रार्थी नं0 2 ने के द्वारा अपने पत्रांक/एल0आर0/2023/2151 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रार्थी तेजपाल पुत्र माधोसिंह जाति ठाकुर निवासी दांदेडा तहसील कामां ने जरिये धारा 136 भू0अ0के तहत ग्राम के साविक खसरा नम्बर 297 जरिये विभाजन नामा0 सं0 127 दिनांक 27.11.1972 को दो भागोमें विभक्त किया गया । जो जमाबन्दी सं0 2069–72 में आराजी खसरा नम्बर 448/297/0.23 जिसका नया नम्बर भू प्रबन्ध विभाग ने 331/0.23 बनाया गया है । जिसके खातेदार मनोहरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति ठाकुर निवासी दांदेडा दर्ज रिकार्ड है । इसी प्रकार साविक आराजी खसरा नम्बर 447/297/0.23 जिसका भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा 330/0.23 नया खसरा नम्बर बनाया गया है । जिसका खातेदार तेजसिंह मनोजसिंह पि0 माधोसिंह जाति ठाकुर निवासी दांदेडा दर्ज रिकार्ड है । हाल आराजी खसरा नम्बर नवीन नक्शा सीट के अनुसार आ0ख0नं0 330 व 331 निम्न प्रकार से है :–उत्तर से दक्षिण रास्ता के तरफ पूरव ख0नं0 331 मनोहरसिंह पुत्र हुकमसिह जाति ठाकुर सा0 देह खातेदार आ0ख0नं0 331 तेजसिंह मनोजसिंह पि0 माधोसिंह जाति ठाकुर निवासी दांदेडा है तथा मौके के कब्जा अनुसार आराजी खसरा नम्बर 330, 331 स्थिति निम्न

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

प्रकार दर्शायी गयी है । उत्तर दक्षिण रास्ता के उत्तर तरफ तेजसिंह मनोजसिंह पिसरान माधोसिंह जाति ठाकुर निवासी दांदेडा तथा दक्षिण आ0ख0नं0 331 मनोहरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति ठाकुर निवासी दांदेडा है । मौके के अनुसार नक्शा सीट में शुद्धि किया जाना उचित बताया है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–77 किता 2 नकल जमाबन्दी सं0 20696–2072 नक्शा ट्रेस पुराना नकल नक्शा ट्रेस पुराना नकल मिलान क्षेत्रफल सलग्न किया है ।

प्रार्थी वकील को पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन कराया गया । जिस पर प्रार्थी वकील ने पैरोकार सरकार की रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त की है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । अप्रार्थी पैरोकार सरकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । आराजी खसरा नम्बर 330 331 में भू प्रबन्ध द्वारा की दिशा मौके के अनुसार नहीं की गयी । जिसके कारण प्रार्थी का नक्शा में अशुद्धि हुई है । जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट व मौके रिपोर्ट में स्पष्ट किया है । जिसे मौके के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आ दे श

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 330, 331 रकवा 0.46 हैक्टर की मौके के अनुसार नक्शा में शुद्धि किया जावे है । तहसीलदार कामां को नक्शा में शुद्ध के लिए लिखा जावे । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार होवें । बाद तकमील तामील दाखिल दफतर ।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(सुनील कुमार झिगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,कामां (डीग)